बंधुआ मजदूर प्रणाली

(उत्सा दन) अधिनियम, 1976

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

बंधुआ मजदूर प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976

बंधुआ मजदूरी को कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के साथ-साथ विभिन्न भारतीय विधानों में निषिद्ध प्रथा के रूप में परिभाषित किया गया है। यह जबरन (या आंशिक रूप से मजबूर) श्रम की एक प्रणाली है, जिसमें एक देनदार लेनदार के साथ एक समझौते में प्रवेश करता है (या यह अनुमान लगाया जाता है कि देनदार ने समझौते में प्रवेश किया है)। इस समझौते के कारण निम्नलिखित परिणाम सामने आते हैं:

- बिना किसी वेतन (या नाममात्र की मजदूरी) के एक निर्दिष्ट (या अनिर्दिष्ट) अवधि के लिए लेनदार को (स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से) निर्विघ्न सेवाएं
- स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने के अधिकार का त्याग
- अपनी किसी भी संपत्ति या अपने श्रम के उत्पाद या अपने परिवार के किसी सदस्य या खुद पर निर्भर किसी व्यक्ति के श्रम को बाजार मूल्य पर बेचने के अधिकार का त्याग

बंधुआ मजदूरी के उक्त समझौते से ऋणी के निजी स्वतन्त्रता के अधिकार की निर्विवाद हानि होती है। हालांकि, स्वतन्त्रता के नुकसान का दायरा, जैसा कि ऊपर इस्तेमाल किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है, तो इस 'स्वतंत्रता के नुकसान' का क्या मतलब होगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निम्नलिखित तरीके से गुंजाइश पर ध्यान दिया है

- रोज़गार की स्वतंत्रता का नुकसान या एक सभ्य आजीविका बनाए रखने के लिए रोजगार के वैकल्पिक रास्ते
- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी अर्जित करने की स्वतंत्रता का नुकसान
- देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने की आजादी का नुकसान

इसे ऋण बंधन या बेहतर शब्दों में कहें, तो ऋण दासता भी कहा जाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि बंधुआ श्रम के सभी रूपों को मजबूर श्रम नहीं कहा जाता है, लेकिन बंधुआ श्रम के सभी रूपों में कुछ बंधन शामिल होते हैं। यह इस बंधन का ही कारण है कि भारत के संविधान में पहले ही बंधुआ मजदूरी की प्रथा को समाप्त करने की बात कही गई है|

संवैधानिक शासनादेश

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार, मनुष्यों के अवैध व्यापार तथा बेगार' एवं जबरन मजदूरी के अन्य स्वरूपों को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है| इस संवैधानिक प्रावधान के आधार पर, भारत सरकार ने बंधुआ मजदूर प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 पारित किया। इस संदर्भ में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में विचार-विमर्श किया –

अनुच्छेद 23 के तहत, हम यह देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति पारिश्रमिक के लिए किसी अन्य को सेवा का श्रम प्रदान करता है जो न्यूनतम मजदूरी से कम है, तो उसके द्वारा प्रदान किया गया श्रम या सेवा स्पष्ट रूप से "मजबूर श्रम" के दायरे में आता है।

जैसा कि हम देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस संवैधानिक प्रावधान की अच्छी तरह से व्याख्या की है और इस मामले में अनुच्छेद 23 के दायरे का विस्तार किया है|

1. **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 -** यह मानव जीवन और स्वतंत्रता के किसी भी शोषण के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोपरि सुरक्षा है। यह संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन का अधिकार और मानव सम्मान के साथ जीने का अधिकार सुरक्षित करता है। इसलिए, बंधुआ मजदूरी की कोई भी प्रथा या अभ्यास इस संवैधानिक प्रावधान के उल्लंघन होगा क्योंकि बंधुआ श्रम कई स्वतंत्रताओं से व्यक्ति को वंचित करता है।

2. **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 -** जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, भारत का संविधान स्पष्ट रूप से जबरन श्रम का उन्मूलन करता है और जबरिया श्रम के इस रूप को प्रतिबंधित करता है। यह न केवल बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है, बल्कि भारत में बेगार प्रथा और मानव दुर्व्यापार के अन्य रूपों पर भी प्रतिबंध लगाता है।

3. **संविधान का अनुच्छेद 39** - यह भारतीय संविधान के भाग IV में शामिल है, जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है और यद्यपि यह प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन शासन के उद्देश्य के लिए ड्राइविंग (चालन) सिद्धांत माना जाता है। यह संवैधानिक प्रावधान राज्य को पर्याप्त आजीविका के अधिकार को सुरक्षित करने का निर्देश देता है। यह राज्य को इस उद्देश्य के साथ अपनी नीतियाँ बनाने का निर्देश देता है कि कोई भी नागरिक आर्थिक जरूरत के कारण अपनी उम्र तथा क्षमता से मेल नहीं खाने वाले व्यवसायों में आने के लिए मजबूर न हो।

4. **संविधान का अनुच्छेद 39** – यह राज्य नीति का एक प्रत्यक्ष सिद्धान्त भी है, जिसमें कहा गया है कि,"राज्य कार्य की उचित और मानवीय स्थितियों को सुरक्शित करने के लिए प्रावधान करेगा|" ... इसका मतलब है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास काम करने की स्थिति है, जो उसके लिए उचित और मानवीय है| हालांकि, चूंकि यह भाग IV का हिस्सा है, इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है|

5. **संविधान का अनुच्छेद 43** – राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का पूर्ण आनंद सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएँ तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा|

अधिनियम के तहत प्रावधान

बंधुआ मजदूर प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976	
धारा 16	**बंधुआ मजदूरी के लिए विवश करने हेतु सज़ा** – जो कोई भी, इस अधिनियम के शुरू होने के बाद, किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर बनाए रखता है, उसे तीन साल तक का कारावास और साथ ही दो हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
धारा 17	**बंधुआ कर्ज को बनाये रखने के लिए सज़ा** – जो कोई, इस अधिनियम के शुरू होने के बाद, बंधुआ कर्ज को बनाये रखता है, उसे तीन साल तक का कारावास और साथ ही दो हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
धारा 18	**बंधुआ श्रम प्रणाली के तहत बंधुआ मजदूरी व्यवस्था को चलाये रखने के लिए सज़ा** - जो कोई इस अधिनियम के शुरू होने के बाद, किस भी प्रथा, परंपरा, अनुबंध, समझौते या अन्य साधन के आधार पर, किसी भी व्यक्ति, या ऐसे व्यक्ति के परिवार के किसी भी सदस्य या ऐसे व्यक्ति के किसी भी आश्रित को, बंधुआ श्रम प्रणाली के तहत, बंधुआ मजदूर बनाकर, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था को चलाये रखता है, ओ उसे तीन साल तक का कारावास और साथ ही दो हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यदि जुर्माना वसूल किया जाता है, तो ऐसे बंधुआ मजदूर को उस अवधि के लिए प्रतिदिन पाँच रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा, जिस समय के दौरान उससे बंधुआ मजदूरी कराई गई थी|
धारा 19	**बंधुआ मजदूरों की संपत्ति का स्वामित्व उसे वापस करने में होने वाली चूक या विफलता के लिए सज़ा** - जो कोई, इस अधिनियम के मुताबिक, अधिनियम के प्रारम्भ से, तीस दिनों की अवधि के भीतर, बंधुआ मजदूरों की संपत्ति का स्वामित्व उसे वापस करने में चूक जाता है या विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष तक के कारावास की सज़ा या 1 हज़ार रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है; और यदि जुर्माना वसूल किया जाता है, तो उस अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिए पाँच रुपये की दर से बंधुआ मजदूर को भुगतान किया जाएगा, जिस अवधि के दौरान मजदूर को उसकी संपत्ति का कब्जा नहीं दिया गया था|

नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया,"यह संविधान के अनुच्छेद 21 और 23 की सबसे स्पष्ट आवश्यकता है कि बंधुआ मजदूरों की पहचान की जाए और उन्हें रिहा किया जाए तथा रिहा होने पर उन्हें उचित पुनर्वास दिया जाए|" बंधुआ मजदूर प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के क्रियान्वयन में राज्य सरकार की ओर से कार्यवाही की किसी विफलता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 23 का उल्लंघन माना जाएगा|

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं, जो बंधुआ मजदूरी प्रणाली की प्रथा से सुरक्षा प्रदान करते हैं| इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 में व्यक्ति के मौलिक अधिकार के साथ बंधुआ श्रम प्रणाली के मुद्दे को जोड़कर बहुत अच्छा किया और राज्य को संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 23 को लागू करने के लिए स्पष्ट जोर दिया।

उच्चतम न्यायालय ने **पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ** मामले में फैसला दिया कि, “जहां एक व्यक्ति पारिश्रमिक के लिए दूसरे को श्रम आ सेवा प्रदान करता है, जो न्यूनतम मजदूरी से कम है, तो उसके द्वारा प्रदान किया गया श्रम या सेवा स्पष्ट से ‘मजबूर श्रम’ शब्द के दायरे में आता है...”

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना की मुख्य विशेषताएँ:

- देश में हर बंधुआ मजदूर, जिसमें बाल बंधुआ मजदूरी भी शामिल है, को इस योजना के तहत कवर किया गया है
- इस योजना में राज्य सरकारों को पुनर्वास हेतु नकद सहायता के उद्देश्य से समान आधार पर धन के किसी अंश का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है| केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत पूरा खर्च वहाँ करेगी| श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जिला राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना सोसाइटी को योजना के तहत फ़ंड जारी किया जाता है और जिला प्रोजेक्ट सोसाइटी जिला प्रशासन सहित कार्यान्वयन एजेंसियों को फ़ंड जारी करती है|
- बंधुआ मजदूरों के सर्वेक्षण के लिए सहायता राशि प्रति वर्ष प्रति जिला 4.50 लाख रुपये है|
- पुनर्वास पैकेज के रूप में वयस्क पुरुष लाभार्थी को 1 लाख रुपये प्रदान किया जाएगा| लाभार्थी के सामने धन को वार्षिकी योजना में जमा करने अथवा नकद अनुदान प्राप्त करने का विकल्प होगा| जिला प्रशासन लाभार्थी की नकद धन की आवश्यकता का आकलन करेंगे और इस मामले में उसके पक्ष में अपना सबसे बेहतर निर्णय देंगे तथा वयस्क पुरुष के खाते में पैसे उसकी सहमति से वार्षिकी योजना के तहत डाले जाएंगे|
- अनाथ बच्चों, बलिकाओं, महिलाओं और विशेष वर्ग के अन्य लाभार्थियों, जो जबरन भीख मनवाने वाले संगठन, जबरन बाल श्रम अथवा वेश्यावृत्ति जैसी समस्याओं से निकले हैं, उनके लिए पुनर्वास सहायता राशि 2 लाख रुपये हैं| इसमें से रुपये 1,25,000 प्रत्येक लाभार्थी के नाम पर वार्षिकी योजना में जमा होंगे तथा शेष राशि ईसीएस के माध्यम से लाभार्थी के खाते में जमा की जाएगी|
- बंधुआ या बलात/बेगार श्रम के मामलों में तथा सर्वाधिक वंचित, हाशिए पर पड़े व्यक्ति, जैसे दिव्यांगों, वेश्यालयों, मसाज पार्लर, प्लेसमेंट एजेंसी आदि से दुर्व्यापार एवं यौन शोषण से मुक्त कराई गई महिलाओं, बच्चों और ट्रान्सजेंडर आदि मामलों में अथवा उन स्थितियों में, जहां जिलाधिकारी उचित समझे, पुनर्वास सहायता राशि 3 लाख हो जाएगी, जिसमें से रुपये 2 लाख प्रत्येक लाभार्थी के नाम पर वार्षिकी योजना में जमा किये जाएंगे तथा 1 लाख रुपये ईसीएस के माध्यम से लाभार्थी के खाते में जमा किये जाएंगे|

- उपरोक्त लाभ के अतिरिक्त पुनर्वास पैकेज में भूमि अथवा आवास तत्व आदि से संबंधित लाभ भी मूल योजना में शामिल किए जाएंगे:
    i. घरेलू स्थान तथा कृषिगत भूमि का आबंटन
    ii. भूमि विकास
    iii. कम लागत वाली निवास इकाईयों का प्रावधान
    iv. पशु पालन, डेयरी, मुर्गी पालन, सुअर पालन आदि;
    v. मजदूरी रोजगार, न्यूनतम मजदूरी को लागू करना आदि;
    vi. लघु वन उत्पादों का संग्रह तथा उनका संसाधन;
    vii. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति;
    viii. बच्चों के लिए शिक्षा आदि

- पुनर्वास सहायता जारी करने को अभियुक्त की सज़ा से जोड़ा गया है| ऐसे मामलों में, जहां संक्षिप्त विचारण (समरी ट्रायल) से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, लेकिन डीएम/एसडीएम पहली बार में ही निष्कर्ष पर पहुँच गए हैं, और बंधुआ मजदूरी के सबूत हैं, तब सज़ा के विवरण के अभाव में बंधुआ मजदूर को नकद सहायता देने के प्रस्ताव को नहीं रोका जा सकता| हालांकि ऐसे मामले में सहायता प्रदान करने हेतु अंतिम भुगतान बंधुआ मजदूर होने के सबूत मिलने पर तथा न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार कानूनी परिणामों के आधार पर ही किया जाएगा|
- जिन मामलों में, सारांश परीक्षण के समापन पर, जिलाधिकारी (डीएम)/उप-प्रभागीय अधिकारी (एसडीएम) इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कथित मजदूर यद्यपि बंधुआ मजदूर होने की शर्त को पूरा नहीं करता, किन्तु उसे सामाजिक-आर्थिक सहायता की जरूरत है; तब ऐसे मामलों में उसके लिए बंधुआ मजदूर होने की शर्त अनिवार्य नहीं है| डीएम/एसडीएम, स्वयं द्वारा प्रशासित किसी अन्य योजना के तहत उन्हें राज्य सहायता प्रदान कर सकते हैं|
- ऐसे मामलों में, जहां जिलाधिकारी (डीएम)/उप-प्रभागीय अधिकारी (एसडीएम) यह पाते हैं कि सारांश परीक्षण (समरी ट्रायल) के लंबा खिच जाने के दौरान रिहा किए गए व्यक्ति की सुरक्षा, देखभाल और संरक्षण के लिए, जैसे कि भोजन, आवास, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, पीड़ितों और गवाहों के संरक्षण के लिए प्रावधान, आदि के लिए तत्काल सहायता की आवश्यकता है, तब किसी कानून या अन्य लागू किसी योजना के तहत तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी; इसके बावजूद कि इस तरह के प्रावधान पुनर्वास योजना में शामिल नहीं हैं|
- राज्य सरकारों/अन्य स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों को अपने प्रयासों को निम्नलिखित गतिविधियों पर केंद्रित करने की आवश्यकता है:

- जिला प्रशासन, जिले के उपायुक्त को वैसे उन अन्य अधिकारियों, जिन्हें पुनर्वास योजना को लागू करने के लिए निरीक्षण का दायित्व सौंपा गया है, आपस में मिलकर रिहा कराए गए मजदूरों के लिए एक अर्थपूर्ण, कारगर तथा स्थायी पुनर्वास के लक्ष्य को सुनिश्चित करना होगा| तदनुसार –
    - बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु उन्हें सुविधाएं प्रदान करना;
    - उनके विकास, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजनाओं को ध्यान में रखते हुए 12वीं कक्षा की शिक्षा तक उन्हें मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना; जो उनकी जीवन शैली को नियंत्रित कर, उनके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले;
    - कौशल विकास पुनर्वास पैकेज का एक अभिन्न अंग बनाया जाए|
- बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराई गई महिलाओं के पुनर्वास हेतु उनकी अनभूत आवश्यकताओं तथा हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी विशेष जरूरतों को पूरकीय जाएगा तथा साथ ही राज्य सरकार द्वारा उन्हें उनकी शादी के लिए भी वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की जायेगी।
- विकलांग लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिये, विशेष देखभाल उपायों के अलावा विकलांग लोगों के लिये राष्ट्रीय नीति के अनुसार राज्य द्वारा विशेष सुरक्षा और देखभाल उपलब्ध कराई जाएगी|
- वयस्क बंधुआ मजदूर के लिए, जो उपरोक्त श्रेणियों में से किसी में भी नहीं आते हैं, उनके लिए रोजगार कौशल विकास प्रशिक्षण पुनर्वास का एक अनिवार्य तत्व हो जायेगा|

- प्रत्येक राज्य द्वारा जिला स्तर पर एक बंधुआ मजदूर पुनर्वास कोष बनाया जाएगा, जिसमें जिलाधिकारी के निपटान में कम से कम 10 लाख रुपये की स्थायी धनराशि होगी| इस निधि का उपयोग रिहा किए गए बंधुआ मजदूरों को तत्काल मदद देने के लिए किया जा सकेगा| रिहा किए गए बंधुआ मजदूरों के नियोक्ताओं के दोषसिद्ध होने पर, इन अपराधियों को दिये गए दंड से प्राप्त धन को इस विशेष कोष में जमा किया जा सकता है|
- रिहा कराए गए व्यक्ति को कम से कम 20,000/ - की तत्काल सहायता जिला बंधुआ मजदूर पुनर्वास कोष के अतिरिक्त जिलाधिकारी के निपटान में जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी|

NOTES

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

मुख्य कार्यालय: ए -23, फ्रेंड्स कॉलोनी (वेस्ट), नई दिल्ली -110065

फोन: 011 47511111 | ई-मेल: info@satyarthi.org.in | वेबसाईट: www.satyarthi.org.in

बाल शोषण के खिलाफ शिकायत करें

1800-102-7222 (Toll-Free)